21.06.2023

विभागीय प्रतिनिधि एवं अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 3.1.1(8) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण को विधिनुसार नियम 3.1.1(8) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत यह निर्धारित किया गया है कि प्रथम सुनवाई से 90 दिन के अन्तर्गत उक्त प्रकरण का अन्तिम निस्तारण श्रीमान न्यायालय द्वारा किये जाने का प्रावधान है। उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय में करीब 1 वर्ष 09 माह से अधिक हो चुका है। उक्त प्रकरण में विधि द्वारा निर्धारित अधिकतम अवधि के व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी काफी समय व्यतीत हो चुका है जो कि विधि अनुसार समाप्त हो चुका है एवंम विभागीय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि मैसर्स ठाकुरदास मोहनलाल श्रीगंगानगर से Green Chilli Sauce (Rafan) का एफएसएस एक्ट 2006 के नियमानुसार नमूना लिया गया जो जन स्वा. लैब बीकानेर से जांच में " Sub-standard Food" पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी, द्वारा एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में स्पष्ट अंकित किया गया है कि Green Chilli Sauce (Rafan) का एफएसएस एक्ट 2006 के नियमानुसार नमूना दिनांक 04.11.2020 को सुनील साहुवाला पुत्र श्री सत्यनारायण अग्रवाल निवासी मकान नम्बर 47 के ब्लॉक श्रीगंगानगर विक्रेता एवं मालिक हरनारायण दास, शिवप्रसाद धानमण्डी श्रीगंगानगर से Green Chilli Sauce (Rafan) नमूना सैम्पल लिया गया है। अतः उक्त प्रकरण को समयावधिपार हो जाने के आधार पर एवं विभागीय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र सैम्पल लेना ही गलत अंकित किया के आधार पर उक्त प्रकरण को न्यायहित में खारिज फरमाया जावें।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस में कथन किया कि मैसर्स ठाकुरदास मोहनलाल श्रीगंगानगर से Green Chilli Sauce (Rafan) का एफएसएस एक्ट 2006 के तहत जो नमूना लिया गया वह जन स्वा. लैब बीकानेर से जांच में " Sub-standard Food" पाया गया उक्त सुनील साहुवाला पुत्र श्री सत्यनारायण अग्रवाल निवासी मकान नम्बर 47 के ब्लॉक श्रीगंगानगर विक्रेता एवं मालिक हरनारायण दास, शिवप्रसाद धानमण्डी श्रीगंगानगर की फर्म मैसर्स ठाकुरदास मोहनलाल श्रीगंगानगर से ही लिया गया है एवंम नियम 3.1.1(8) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण निस्तारण किये जाने हेतु निर्धारित किया गया है। परन्तु नियम 3.1.1(8) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के आधर पर प्रकरण खारिज किये जाने का प्रावधान नहीं है, जब तक उक्त प्रकरण में पूर्ण साक्ष्य नही हो जाती तक प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जा सकता एवंम अतः अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थना पत्र नियम 3.1.1(8) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण निस्तारण किये जाने से है। नियम 3.1.1(8) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत प्रकरण का निस्तारण 90 दिवस में किये जाने का प्रावधान है परन्तु नियम 3.1.1(8) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के आधर पर प्रकरण खारिज किये जाने का प्रावधान नहीं है,। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा (11) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.09.2021 को दर्ज होने के उपरान्त आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.10.2021 को वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु अवसर चाहा गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा दिनांक 26.11.2021 को जवाब नोटिस पेश किया। उक्त जवाब नोटिस का निस्तारण आदेशिका दिनांक 08.06.2022 को किया गया जिस पर अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा दिनांक 04.10.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 3.1.1(8) प्रस्तुत किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा ही करीब 01 वर्ष

का समय साक्ष्य/सबूत पेश करने में लगाया जा चुका है। प्रकरण का निस्तारण गुण दोष पर किये जाने हेतु पूर्ण साक्ष्य लिये जाने आवश्यक है। अतः अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 3.1.1(8) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम खारिज किया जाता है। जहा तक Green Chilli Sauce (Rafan) का एफएसएस एक्ट 2006 के तहत जो नमूना लिया गया वह जन स्वा. लैब बीकानेर से जांच में " Sub-standard Food" पाया गया। उक्त नमूना सुनील साहुवाला पुत्र श्री सत्यनारायण अग्रवाल निवासी मकान नम्बर 47 के ब्लॉक श्रीगंगानगर विक्रेता एवं मालिक की फर्म **मैसर्स हरनारायण दास शिवप्रसाद धानमण्डी श्रीगंगानगर से ही लिया गया है न कि मैसर्स ठाकुरदास** मोहनलाल **, 73 डी ब्लॉक श्रीगंगानगर से। विभागीय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 31.05.2023 में यह कथन करना कि नमूना मैसर्स ठाकुर दास मोहन लाल 73 डी ब्लॉक श्रीगंगानगर से लिया गया, सही नहीं है।** इस तरह से अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर द्वारा परिवाद में Green Chilli Sauce (Rafan) का एफएसएस एक्ट 2006 के तहत जो नमूना लिया गया वह परिवादी **मैसर्स हरनारायण दास शिवप्रसाद धानमण्डी** श्रीगंगानगर **से लेना न बताकर मैसर्स ठाकुरदास** मोहनलाल **, 73 डी ब्लॉक श्रीगंगानगर से लेना कथन करना सही प्रमाणित नहीं होता है।** जिसके आधार पर परिवाद चलने योग्य नहीं पाया जाने से निरस्त किया जाता है किन्तु खाद्य सुरक्षा अधिकारी को यह स्वतंत्रता (Librity) रहेगी कि वह अभिहित अधिकारी से सही नमूना स्वीकृति प्राप्त कर पुनः परिवाद पेश कर सकता है। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 21.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर